लोक शिक्षण संचालनालय

इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर, छत्तीसगढ़

(दूरभाष कमांक 0071–2331385 फैक्स कमांक 0771–2445215, ई–मेल– cg.dpi.dir@gmail.com)

कमांक / अनुदान / CBSE / NOC / 2019–20 / रायपुर, दिनांक 08.2019

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर ।

विषयः–राज्य शासन द्वारा अशा.शिक्षण संस्थाओं को सी.बी.एस.ई.पाठ्यकम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत्– अशास.ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था खोखरा, जिला जांजगीर

संदर्भः–जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर के पत्र कमांक / अनुमति / मान्यता / सी.बी.एस.ई.अना. / 4051 दिनांक 19.07.2019

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत अशास.ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था खोखरा, जिला जांजगीर को सी.बी.एस.ई. पाठ्यकम से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ 6–1 / 2008 / 20–तीन दिनांक 09.07.2013 एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली (C.B.S.E.) द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के आधार पर किया गया है।

<u>प्रस्ताव का परीक्षण टीप निम्नानुसार हैः–</u>

1 / कार्यकारिणी में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सदस्य का नामांकन होना चाहिये :–
संस्था की कार्यकारिणी में छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में सहायक सचिव मान्यता को नामांकित किया गया है। (ध्वज–1)

2 / विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समस्त आवश्यक अभिलेख सहित आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है। (ध्वज–2)

3 / सी.बी.एस.ई. से संबंद्धता उपरान्त संस्था राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाईडस, रेडकास, एन.सी.एसी. एवं एन.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेगी, शपथ पत्र के कमांक 03 में उल्लेख है। (ध्वज–3)

4 / विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों को गतिविधियों के लिए खेल मैदान, छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध किया जावेगा,शपथ पत्र के कमांक 04 में उल्लेख है। (ध्वज–3)

5 / संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण / जांच करने का अधिकार होगा, कमांक 05 में उल्लेख है।

6 / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त होने के उपरांत भी छ.ग. शासन स्कूल, शिक्षा विभाग व लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंधन एवं विकास के संबंध में जारी तथा अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, कमांक 06 में उल्लेख किया गया है।(ध्वज–3)

निरंतर पेज 2.

MANAGER
GYAN ROSHNI LOK KALYAN SANSTHA
KHOKHARA, JANJGIR

प्राचार्य
ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था
खोखरा, जांजगीर (छ.ग.)

7/ संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में शासन का 02 प्रतिनिधि प्राचार्य, शास.बहु.उ.मा.वि. कमांक 2 जांजगीर एवं प्राचार्य शा.कन्या उमावि जांजगीर वि0ख0नवागढ़ को संस्था की प्रबंध कारिणी हेतु सदस्य मनोनित किया गया है। (ध्वज-4)

8/ प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे, शपथ पत्र के कमांक 08 में उल्लेख है।(ध्वज-3)

9/ शिक्षण संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम व प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित की जायेगी। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र के कमाक 09 मे उल्लेख है। (ध्वज-3)

10/ छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। शपथ पत्र के कमांक 10 में उल्लेख है। (ध्वज-3)

11/ शिक्षण संस्था में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा, शपथ पत्र के कमांक 11 में उल्लेख है।(ध्वज-3)

12/ संस्था के छात्रों को निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र के कमांक 12 में उल्लेख है।(ध्वज-3)

13/ निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। शपथ पत्र के कमांक 13 में पत्र में उल्लेख है।(ध्वज-3)

14/ संस्था को पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं छ.ग.शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जायेगी, शपथ पत्र के कमांक 14 में उल्लेख है। (ध्वज-3)

सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. पाठ्यकम से संबद्धता के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अनुदेश के अनुकम में निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत की गई है :-

1. **प्रस्तावित शाला को राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिये।**
   जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर के ज्ञाप क0/मान्यता/962 दिनांक 08.03.2019 के द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 वीं तक के लिये शाला संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। (ध्वज-5)
2. विद्यालय सोसायटी के पास भूमिः-संस्था की स्वयं की भूमि है। जिसका कुल क्षेत्रफल 8101.08 स्कायर मीटर है। बिल्डअप एरिया 3519 स्क्वायर मीटर है। खेल मैदान का एरिया 4582.08 स्क्वायर मीटर उपलब्ध है। विकय अभिलेख, भूमि का नक्सा, खसरा, प्रपत्र बी. इत्यादि अभिलेख की छायाप्रति। (ध्वज-6)
3. स्कूल में कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, ग्रंथालय, इत्यादि उपलब्ध है। (ध्वज-7)

निरंतर पेज 3..

G. Patel
MANAGER
GYAN ROSHNI LOK KALYAN SANSTHA
KHOKHARA, JANJGIR

R. Gopal
अध्यक्ष
ज्ञान रौशनी लोक कल्याण संस्था
खोखरा, जांजगीर (छ.ग.)

4. संस्था में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक कुल 246 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं। संख्या कक्षावार छात्र संख्या की जानकारी संलग्न है। (ध्वज–8)
5. विद्यालय में कुल 19 शिक्षक / कर्मचारी कार्यरत हैं। स्टाफ की सूची (पद, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान सहित जानकारी) संलग्न है। (ध्वज–9)
6. शिक्षण समिति का नाम ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था जांजगीर है। पंजीयन क्रमांक 3740 दिनांक 15.12.2005 है। समिति की नियमावली व समिति के सदस्यों की सूची आदि की जानकारी संलग्न है। (ध्वज–10)
7. स्कूल में पेयजल, अग्नि शमन यंत्र, शौचालय इत्यादि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संलग्न है। (ध्वज–11)
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड अनुसार संबंधित स्कूल का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है । (ध्वज–12)
9. संस्था का 03 वर्ष का आडिट प्रतिवेदन संलग्न है। (ध्वज–13)
10. स्कूल मैनेजिंग कमेटी में 02 पालकों को सम्मिलित किया गया है। (ध्वज 14)
11. स्कूल की फीस संरचना संलग्न है। (ध्वज 15)

जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर द्वारा उक्त संस्था को सी.बी.एस.ई पाठयक्रम के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदाय करने बाबत् अनुशंसा किया गया है। अतः उपरोक्त बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अशास.ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था खोखरा, जिला जांजगीर (छ.ग.)को सी.बी.एस.ई पाठयक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने बाबत् प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

हस्ता०/-
संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
रायपुर दिनांक 05 08.2019

पृ0कमांक / अनुदान / CBSE / NOC / 2019–20 / 415

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित् ।
2. प्राचार्य, अशास0 ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था खोखरा, जिला जांजगीर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

G. Patel
MANAGER
GYAN ROSHNI LOK KALYAN SANSTHA
KHOKHARA, JANJGIR

प्राचार्य
ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था
खोखरा, जांजगीर (छ.ग.)